दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार (साफ्टा)

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार (साफ्टा) पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ (सार्क) के सभी सदस्य देशों अर्थात भारत, बंग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा 4-6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित बारहवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे । अपने चार अनुबंधों के साथ साफ्टा करार 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ है । भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को गैर-अल्प विकसित संविदाकारी देशों (एनएलडीसीएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और बंग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल को अल्प विकसित संविदाकारी देशों (एलडीसीएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

2. साफ्टा करार के अनुच्छेद-7 में एक चरणबद्ध टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम (टीएलपी) की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दो वर्षों में एनएलडीसीएस टैरिफों को 20% तक कम करेंगे और एलडीसीएस उन्हें 30% तक कम करेंगे । तत्पश्चात गैर-एलडीसीएस 5 वर्षों में टैरिफों को 20% से घटाकर 0-5% करेंगे (श्रीलंका के लिए 6 वर्ष), जबकि एलडीसीएस ऐसा 8 वर्षों में करेंगे । एलडीसी देशों के उत्पादों के लिए एनएलडीसीएस अपने टैरिफों में 3 वर्षों में 0-5% तक कमी करेंगे । टीएलपी में सदस्य देशों द्वारा संवेदनशील सूची (नकारात्मक सूची) में रखी गई टैरिफ लाइनों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनें शामिल होंगी ।

3. साफ्टा करार के चार अनुबंधों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

(i) उद्गम के नियम

(क) साफ्टा के अंतर्गत सदस्य देशों को अधिमानी पहुँच प्रदान करने के लिए निर्यातक देश में वस्तुओं का पर्याप्त विनिर्माण कार्य किया जाना चाहिए । पर्याप्त विनिर्माण प्रक्रिया को चार-अंकीय सुमेलीकृत कोडिंग प्रणाली (एचएस) पर टैरिफ शीर्ष में परिवर्तन (सीटीएच) और 40% की मूल्यवर्द्धन मात्रा (एलडीसीएस के लिए 30%) के दोहरे मापदंडों के अनुसार परिभाषित किया गया है ।

(ख) सामान्य नियमों के अलावा एलडीसीएस के प्राकृतिक संसाधनों और अविविधीकृत औद्योगिक संरचना के सीमित आधार को देखते हुए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए 191 टैरिफ लाइनों के लिए उत्पाद-विशिष्ट नियमों (पीएसआर) की व्यवस्था है । उत्पाद विशिष्ट नियमों की व्यवस्था स्पष्ट रूप से तकनीकी आधारों अर्थात जिसमें निविष्टियों एवं उत्पादन दोनों समान-चार-अंकीय एचएस स्तर पर हों, पर की गई है ।

(ii) संवेदनशील सूचियाँ

संवेदनशील सूचियों का सारांश निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	संविदाकारी देशों के नाम	एलडीसीएस के लिए टैरिफ लाइनों की संख्या	गैर-एलडीसीएस हेतु टैरिफ लाइनों की संख्या	समेकित सूची
1.	बंग्लादेश	1249	1254	--
2.	भूटान	--	--	137
3.	भारत	744	865	--
4.	मालदीव	--	--	671
5.	नेपाल	--	--	1335
6.	पाकिस्तान	--	--	1183
7.	श्रीलंका	--	--	1065

(ख) भारत ने बंग्लादेश को परिधानों के 8 मिलियन नगों हेतु बाजार पहुँच प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; जिनमें भारत से फैब्रिक्स आयात करने की शर्त पर 3 मिलियन नग; भारतीय या बंग्लादेश के उद्गम वाले फैब्रिक्स का प्रयोग करने की शर्त पर अतिरिक्त 3 मिलियन नग तथा शेष दो मिलियन नग बिना किसी शर्त के शामिल हैं ।

(iii) अल्प विकसित संविदाकारी देशों के लिए राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति हेतु तंत्र (एमसीआरएल)

(क) मालदीव को छोड़कर, एलडीसीएस के लिए क्षतिपूर्ति चार वर्षों के लिए उपलब्ध रहेगी; मालदीव के लिए यह छह वर्षों के लिए उपलब्ध होगी ।

(ख) यह क्षतिपूर्ति अनुदान के तौर पर अमरीकी डालर के रूप में की जाएगी ।

(ग) यह क्षतिपूर्ति आधार वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार के अंतर्गत असंवेदनशील मदों पर संग्रहित सीमाशुल्क आय, अर्थात 2004 और 2005 के औसत, के 1%, 1%, 5% और 3% की अधिकतम सीमा के अधीन होगी ।

इस अनुबंध में निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा इस क्षतिपूर्ति का प्रबंधन किया जाएगा ।

(iv) अल्प विकसित संविदाकारी देशों को सहमत क्षेत्रों में तकनीकी सहायता

इसमें शामिल प्रमुख क्षेत्र हैं - मानकों, उत्पाद के प्रमाणन, मानव संसाधन को प्रशिक्षण, आंकड़ों के प्रबंध के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, संस्थागत उन्नयन, विधिक प्रणाली और प्रशासन, सीमाशुल्क प्रक्रियाओं में सुधार और व्यापार सुगमीकरण, बाजार विकास और संवर्धन ।

साफ्टा करार का कार्यान्वयन

(क) तीन वर्ष के भीतर गैर-एलडीसीएस द्वारा एलडीसीएस के लिए व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टीएलपी) पूरा किए जाने के बाद एलडीसी सदस्य देशों के लिए साप्टा रियायतें समाप्त हो जाएंगी । यदि कोई मदें, जिन पर एलडीसीएस के लिए साप्टा रियायतें उपलब्ध है, गैर एलडीसीएस की संवेदनशील सूची में प्रदर्शित होती हैं तो वे अनुच्छेद 7(3) (क) के अंतर्गत अपकर्ष के जरिए रियायतों के समान स्तर को बनाए रखेंगे और उन्हें अपनी संवेदनशील सूची में इंगित करेंगे तथा यदि टीएलपी में दी गई मदों पर साप्टा के अंतर्गत टैरिफ अधिमानों का लाभ मिल रहा है तो गैर-एलडीसीएस उन मदों पर अपने टैरिफ को उस दर तक घटाएंगे जो डीएलपी के लिए आधार दर हेतु सहमत तारीख को साप्टा के अंतर्गत एलडीसीएस के लिए लागू दर से अधिक न हो ।

(ख) टैरिफ कटौती के प्रयोजनार्थ आधार दर 1 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार विद्यमान एमएफएन की लागू दर होगी ।

(ग) टीएलपी की शुरूआतः सदस्य देशों की भिन्न-भिन्न बजट अवधियों के मद्देनजर सदस्य देशों ने इस शर्त के साथ 1 जनवरी, 2006 की बजाय 1 जुलाई, 2006 (नेपाल के लिए 1 अगस्त, 2006) से चरणबद्ध टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया कि पहले दो वर्षों के लिए टीएलपी को 31 दिसम्बर, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा । **भारत ने सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 67/2006, 68/2006 और 69/2006 के तहत पहले चरण के संबंध में पहली किस्त (1 जुलाई,2006 से 31.12.2006) और**

सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 140/2006 और 141/2006 के तहत पहले चरण (1.1.2007 से प्रवृत) में दूसरी किस्त हेतु टैरिफ रियायतें अधिसूचित की थीं । पहली और दूसरी किस्तों के लिए पाकिस्तान द्वारा जारी अधिसूचनाओं में एक अनुवृत्ति यह है कि पाकिस्तान में भारतीय आयात भारत से आयात योग्य मदों की उनकी सकारात्मक सूची, जिसमें इस समय 1075 टैरिफ लाइनें हैं, के अनुसार जारी रहेंगे ।

इस करार की अधिक जानकारी के लिए सार्क की वेबसाई **http://www.saarc-sec.org** देखें ।